

प्रारूप-घ (संलग्नक-3)

औपबन्धिक (प्रोविजनल) अनापत्ति प्रमाणपत्र

यूआईडी संख्या: UPFS/2023/88463/GKP/GORAKHPUR/1010/CFO

दिनांक: 05-07-2023

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **MIG AND MINI MIG GROUP HOUSING FLATAS GORAKHPUR DEVELOPMENT AUTHORITY** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **PLOT NO GH 7, KHORABAR TOWNSHIP, GORAKHPUR** तहसील - **SADAR** प्लॉट एरिया **26828.10 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **70285.73** (वर्गमीटर), ब्लॉकों की संख्या **3** जिसमें

ब्लॉक / टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
MINI MIG BLOCK NO 1	15	0	43.200 mt.
MINI MIG BLOCK NO 1	15	0	43.200 mt.
MIG BLOCK	15	0	43.200 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **MIG AND MINI MIG GROUP HOUSING FLATAS GORAKHPUR DEVELOPMENT AUTHORITY** द्वारा किया जायेगा। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का प्राविधान एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार किया गया है। इस भवन को औपबन्धिक अनापत्ति प्रमाणपत्र, एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Residential** के अन्तर्गत इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि प्रस्तावित भवन में अधिभोग श्रेणी के अनुसार सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं के मानकों का अनुपालन पूर्ण रूप से किया जायेगा तथा भवन के निर्माण के पश्चात भवन के अधिभोग से पूर्व अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। ऐसा न करने पर निर्गत प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **MIG AND MINI MIG GROUP HOUSING FLATAS GORAKHPUR DEVELOPMENT AUTHORITY** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

Note : FSO की संस्तुति के आधार पर निम्न सुरक्षा उपबन्धों / शर्तों के अधीन निर्गत है।

1- आवेदन में अधिकांश प्रविष्टियाँ अंकित नहीं है। अतः भवन फायर प्लान (जिसमें फायर पम्प लोकेशन, संवेदनशील स्थानों/भवन पर फायर एलार्म एवं डिटेक्शन, यार्ड हाईड्रेंट, स्प्रिंकलर सिस्टम इलेक्ट्रीक इन्स्टलेशन) हेतु अग्निसुरक्षा मानचित्र में प्रदर्शित कर इस विभाग के समक्ष स्तर से अनुमोदन लिया जाये

2- आवेदन में प्रस्तुत मानचित्र में वांछित सेट बैक, टर्निंग सर्कल आदि मानक के अनुसार मानचित्र में दर्शाते हुए सक्षम स्तर से अनुमोदन करा लिया जाए।

उपरोक्त सुरक्षा उपबन्धों का भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ के पूर्व में पालन न करने पर अग्निसुरक्षा/जीव रक्षा मानकों में विचलन होने पर कार्यदायी संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)
(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(JASVEER SINGH)

निर्गत किये जाने का दिनांक : 08-07-2023
स्थान : GORAKHPUR

[89C53FD40E1570902F78776FE92F58F4E0B3D2E7]

08-07-2023